



आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हिंदी तथा

अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका

डॉ. पंकज द्विवेदी

भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

भाषा प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

“मातृभाषा परिव्यज्य येडन्यभाषामुंपासते

तत्र यांति हि ते यत्र सूर्यो न भासते”

अर्थात् जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग न करके किसी और की भाषा की उपासना करता है वह अंधकार के उस गर्त में जा पहुँचता है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है।

आजादी के लगभग चौहत्तर वर्षों के पश्चात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ एक ओर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है वहीं दूसरी ओर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जी जान से लगा हुआ है। 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का आह्वान करते हुए पाँच स्तंभों यथा अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग को रेखांकित किया। इसके माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की गई, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधारों जिनमें कोयला और खनन क्षेत्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं, की भी घोषणा की गई। 'आत्मनिर्भर भारत' का अभिप्राय वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं अपितु भारत के साथ-साथ पूरे विश्व के विकास में भारत के योगदान से है। इसे स्वदेशी आंदोलन के परिमार्जित एवं उन्नत रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत की निजता का गौरव बढ़ता है और जनमानस में स्वाभिमान का बोध भी होता है। किसी भी देश की आत्मनिर्भरता में उस देश की भाषाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की भाषाएँ उसकी संस्कृति, अस्मिता, अस्तित्व, इतिहास तथा गौरव का बोध कराते हुए वहाँ के नागरिकों को स्वावलंबी, परिश्रमी, अनुशासित, देशप्रेमी तथा स्वदेशी बनने की प्रेरणा देती हैं।

भाषाई विविधता

भारत विश्व के उन अनूठे देशों में से एक है जिसे भाषायी विविधता सहज रूप में विरासत में मिली है। 2011 की जनगणना में भारत में पाँच भाषा परिवारों (भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, चीनी-तिब्बती, अंडमानी) के साथ 19569 मातृभाषाएँ (raw returns) दर्ज की गयी हैं। भाषायी युक्तिकरण (Linguistic Rationalization) के बाद यह संख्या 1369 पर पहुँचती है तथा इनमें से 121 से अधिक ऐसी भाषायें हैं जिनके 10000 से अधिक बोलने वाले पाये जाते हैं। उपर्युक्त 121 भाषाओं में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराजी, हिन्दी,




कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 99 अन्य भाषाओं को भी पठन-पाठन, व्यापार, मीडिया इत्यादि में अपयोग के हेतु मान्यता प्रदान की गयी है। भारत में लगभग 35 से अधिक लिपियाँ भी सरकारी तथा दैनिक कार्य में उपयोग में लायी जाती हैं। इसी क्रम में देश को भाषायी तथा शैक्षिक रूप से दक्ष, आत्मविश्वासी बनाने तथा भारतीय मानस को औपनिवेशिकता से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) को लागू किया गया। NEP-2020 के अनुसार एक विद्यार्थी कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपना सकते हैं। साथ ही इस नीति में मातृभाषाओं को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

हिंदी

हिंदी विश्व की तीसरी तथा भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी को भारत में संघ तथा कई राज्यों की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी के 43.63% आबादी ने हिंदी अथवा उसकी बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में पहचाना है। 8.03% के साथ बांग्ला द्वितीय तथा 6.86%, 6.7%, 5.7% के साथ मराठी, तेलगु तथा तमिल क्रमशः तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम स्थान में हैं। वर्ष 1971 से 2011 तक के जनगणना के आंकड़ों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं : वक्ताओं की संख्या के घटते क्रम में अनुसूचित भाषाओं की तुलनात्मक श्रेणी प्रतिशत में

1971	1981	1991	2001	2011
हिंदी	36.99	38.74	41.03	43.63
बांगाली	8.17	7.71	8.11	8.03
तेलगु	8.16	7.61	7.19	6.86
मराठी	7.61	7.43	6.99	6.70
तमिल	6.88	5.25	5.91	5.70



उपर्युक्त आंकड़ों से ये बात साफ पता चलती है कि अन्य प्रमुख भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत न केवल बहुत अधिक है बल्कि वर्ष 1971 से 2011 के बीच इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 2001-2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगभग 25% 100 मिलियन बोलने वालों, की वृद्धि हुई।

संपर्क भाषा के रूप में हिंदी

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक तथा भाषायी विविधताओं से भरा एक देश है और किसी भी ऐसे देश में एक सम्पर्क भाषा की जरूरत होती है जो कि सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखती है। क्षेत्र



विस्तार तथा संख्या की दृष्टि से भारत में हिंदी बहुत पहले सम्पर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले से ही आमजन द्वारा प्रेमपूर्वक इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य का अधिकांश भाग अहिंदी अथवा हिंदीतर भागों के लेखकों द्वारा रचा गया। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में दक्षिण के आचार्यों रामानुज, निंबार्क, रामानंद, वल्लभाचार्य इत्यादि ने धर्म तथा ज्ञान के प्रचार के लिये हिंदी को अपना माध्यम बनाया। वर्तमान में भी हिंदी के प्रति यह प्रेम कम नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 1991 और 2011 के बीच दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। यह तब है जब इन राज्यों की कुल जनसंख्या में केवल 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार एथनोलॉग के अनुसार वर्ष 2019 तक 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। इसी प्रकार विश्व के लगभग 34 देशों में हिंदी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रवासी भारतीय, चाहे उनकी भारतीय मातृभाषा कोई भी हो, अन्य भारतीयों से संवाद के दौरान संपर्क भाषा के रूप में मुख्यतः हिंदी का प्रयोग करते हैं।

मीडिया, हिंदी तथा प्रौद्योगिकी

कई बार इलीट मीडिया द्वारा आमजन में ऐसी राय बनाई जाती है कि अंग्रेजी बहुत गति के साथ आगे बढ़ रही है तथा वह हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को पीछे छोड़ चुकी है। वर्ष 2019 की इंडियन रीडरशिप सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में 5 हिंदी के हैं तथा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार The Times of India पाठक संख्या के आधार पर 10वें स्थान पर आता है। The Times of India मलयालम के മലയാള ലോകമത, तमिल के தினகந்திர்தி तथा मराठी के लोकमत से औसत अंक पाठक संख्या में कहीं पीछे है।

अखबार	पाठक संख्या (मिलियन)	भाषा	अखबार	पाठक संख्या (मिलियन)	भाषा
दैनिक जागरण	16.872	हिंदी	தினகந்திர்தி	7.379	तमिल
दैनिक भास्कर	15.566	हिंदी	लोकमत	6.285	मराठी
हिंदुस्तान	13.213	हिंदी	राजस्थान पत्रिका	5.863	हिंदी
अमर उजाला	9.657	हिंदी	The Times of India	5.560	अंग्रेजी
മലയാള ലോകമത	8.478	मलयालम	லாசன்கந்திர்தி	4.849	मलयालम

यही ट्रेंड ऑनलाइन सामग्री के उपभोग में भी परिलक्षित होता है। दिनांक 25 मार्च 2021 को प्रकाशित फाइनैशियल एक्सप्रेस द्वारा गूगल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में सामग्री का उपभोग करना पसंद करते हैं। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री का उपयोग सालाना आधार पर 94 फीसदी बढ़ा है जबकि अंग्रेजी सामग्री में केवल 19 फीसदी की वृद्धि देखी गयी है। इसी प्रकार एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2021 तक अंग्रेजी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 199 मिलियन तथा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 536 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

भाषाओं तथा अर्थव्यवस्था का संबंध : हिंदी के परिपेक्ष्य में



भूमंडलीकरण के इस युग में जबकि लोग शिक्षाए रोजगार तथा व्यापार इत्यादि के कारण अन्य राज्यों तथा दूसरे देशों की ओर गमन तथा विस्थापन करते रहते हैं, एक नवीन भाषा सीखना मानव संसाधन/ कौशल में एक निवेश की तरह कार्य करता है। प्रवासी अधिकतर अपने गंतव्य देश की भाषा सीखना चाहते हैं पर भारत जैसे भाषाई विविधता से भरे देश में यह कार्य कुछ जटिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र विस्तार तथा संख्या की दृष्टि से हिंदी सम्पर्क भाषा के रूप में सभी पहलुओं से उपयुक्त बैठती है। भाषा तथा अर्थशास्त्र के कई शोधों में यह बात उभर के आई है कि जहाँ भाषायी विविधता का अपना महत्व है, वहीं किसी देश की प्रमुख भाषा में दक्षता वहाँ के लोगों की आर्थिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गिल्स ग्रेनियर तथा वेडगुओ झांग (2021) द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार 1) किसी भी समूह (राज्य अथवा देश) के सदस्य जब एक कॉमन भाषा में संवाद करते हैं तो उनके आर्थिक कल्याण में संयुक्त रूप से इज़ाफा होता है। 2) (राज्य अथवा देश की) एक प्रमुख भाषा सीखना एक मानव पूंजी में निवेश की तरह कार्य करता है। 3) प्रमुख भाषा का ज्ञान भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये वित्तीय तथा गैरवित्तीय दोनों प्रकार से लाभकारी होता है। 4) वर्तमान में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने के कुछ फायदे हैं पर निकट भविष्य में इसके उलट होने की उम्मीद है।

हिंदी विभिन्न पक्षों, राज्यों तथा देशों के बीच भाषाय बाधा को दूर करके व्यापार की लागत को कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भाग लेने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से समुचित लाभ उठाने में भी मदद कर सकती है। एक लिंक भाषा विभिन्न संस्कृतियों के बीच संचार का अवसर प्रदान करती है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में विकास सहनशीलता, आदर तथा आपसी सदभाव बनाये रखने में एक कॉमन भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि यह लोगों को एक-दूसरे की संस्कृतियों को समझने का प्रवेश द्वार प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग से किसी राज्य के छात्रों को एक संस्थान से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का लचीलापन प्रदान करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) द्वारा लागू क्रेडिट ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम शिक्षा में आने वाली लागत का मूल्य व्यक्तिगत तथा संस्थानगत स्तर पर कई गुना कम कर सकते हैं।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की राजभाषा तथा आम भाषा के रूप में हिंदी किस प्रकार स्वयं को विश्वपटल पर स्थापित करके भारत में व्यापार, शिक्षा, तकनीकी जैसे क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ नागरिकों में सहनशीलता, आदर तथा आपसी सदभाव जैसे गुणों का विकास करने में अपनी भूमिका के निर्वहन कर रही है।

संदर्भ ग्रन्थ

- 1 द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज स्किल्स गिल्स ग्रेनियर तथा वेडगुओ झांग, आईजेडए वल्ड ऑफ लेबर, 2021 - <https://wol.iza.org/uploads/articles/565/pdfs/economic-value-of-language-skills.pdf?v=1>
- 2 एथनोलॉग: विश्व की भाषाएँ (चौबीसवाँ संस्करण), एबरहार्ड, डेविड एम., गैरी एफ. सिमंस, और चार्ल्स डी. फेनिग (संपादित), डलास, टेक्सास: 2021 एसआईएल इंटरनेशनल, ऑनलाइन संस्करण: <http://www.ethnologue.com>
- 3 भारत की जनगणना (२०११) - नई दिल्ली: महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। 2011. https://censusindia.gov.in/2011Census/Language_MTs.html



- 4 इंडियन रीडरशिप सर्वे एमआरयूसी इंडिया, 2019-20, मुंबई . <https://bestmediainfo.in/mailler/nl/nl/IRS-2019-Q4-Highlights.pdf>
 - 5 25 मार्च 2021, <https://www.financialexpress.com/brandwagon/90-of-internet-users-in-india-prefer-to-consume-content-in-their-local-language-google/2220097/>
 - 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2020, नई दिल्ली https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
 - 7 राजभाषा-हिंदी कार्यान्वयन सैद्धान्तिक, व्यवहारिक तथा तकनीकी पक्ष (केंद्र सरकार के कार्यालयों हेतु, पंकज द्विवेदी (राजभाषा कार्यशाला, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
-